"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2016— चैत्र 1, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 (चैत्र 1, 1938)

क्रमांक-137/वि.स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्र. 21 सन् 2008) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्र. 21 सन् 2008), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ट-1) "विभाग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा यथा घोषित विभाग."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में,-

(एक) "छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) अर्द्ध विराम चिन्ह ";", के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) उप-धारा (1) के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह है कि,-

(क) ऐसे समस्त लिखत, संविदायें, डिग्री, डिप्लोमा, आदेश, अधिसूचना जो छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से हस्ताक्षरित है ऐसे माने जायेंगे मानो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के नाम से जारी किये गये हों; और

(ख) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रकरण, जिसमें छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पक्षकार हो, उसी रीति से निरंतर बने रहेंगे जैसे कि यह संशोधन न किया गया हो."

धारा 11 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (11) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(11) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर लिखित त्यागपत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा."

धारा 14 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) कुलसचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर, राज्य शासन द्वारा की जायेगी."

धारा 19 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "सात" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 31 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (6) में, शब्द "का पुर:स्थापन" का लोप किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, यह वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती है अतएव शिक्षा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुये छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का पुन: नामकरण उनके नाम से किया जाना प्रस्तावित है;

और यत:, उक्त विश्वविद्यालय, 7 वर्ष पूर्ण कर चुका है तथा अपने कार्य संचालन में कठिनाईयों का सामना कर रही है अतएव, कठिनाईयों के निराकरण हेतु, राज्य सरकार के लिये आवश्यक हो गया है कि छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्र. 21 सन् 2008) के प्रावधानों में संशोधन करे.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 2 मार्च, 2016

अजय चंद्राकर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा - 02(ट), 03(1), 11(11), 14(3), 19(3), 31(6), का सुसंगत उद्धरण :-

---

धारा-02 - परिभाषाएं :-

(ट) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, संकाय या महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष;

धारा-03 - विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन :-

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में एक विश्वविद्यालय का गठन किया जायेगा, जिसका नाम छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय होगा;

धारा-11 - कुलपति की नियुक्ति एवं हटाया जाना :-

(11) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षर लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा जो कुलाधिपति को सामान्यत: उस तारीख से साठ दिन पूर्व दिया जायेगा, जब कुलपति अपने पद से मुक्त होने की इच्छा रखता है, किन्तु कुलाधिपति उसे पहले भी मुक्त कर सकेगा;

धारा-14 - कुलसचिव :-

(3) कुलसचिव की नियुक्ति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक-22 सन् 1973) के अधीन गठित राज्य विश्वविद्यालयीन सेवा के अधिकारियों से या प्रतिनियुक्ति से प्रबंधन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी.

परंतु कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा.

धारा-19 - प्रबंधन बोर्ड :-

(3) प्रबंधन बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति दस मतधारी सदस्यों से होगी. सदस्य सचिव को मतदान का अधिकार नहीं होगा.

धारा-31 - परिनियम किस प्रकार बनाएं :-

(6) नये परिनियम का पुर:स्थापन या विद्यमान परिनियम में कुछ जोड़ना या संशोधन या निरसन, कुलाधिपति की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाएगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.